उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

(पंचायत शाखा)

–: आदेश :–

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–80 दिनांक 28.04.2016 एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1453/राँची, दिनांक 03.05.2016 के निदेशानुसार कार्यालय आदेश ज्ञापांक 162/पं0 दिनांक 16.03.2017 द्वारा कुल 11 कनीय अभियंता की नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। उनमें से रिया गुप्ता तथा शांति कुमारी आईंद द्वारा योगदान नहीं दिया गया। कार्यालय आदेश ज्ञापांक 160 दिनांक 16.03.2017 में प्रतिक्षा सूची में रखे अभ्यर्थियों की कोटिवार रिक्ति के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता को मद्देनजर प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थी को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कनीय अभियन्ता के पद मासिक मानदेय 17000.00 (सत्रह हजार) रूपये में पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त की जाती है :–

क्र0	रोल न0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	11	आलोक राम	घुरा राम	VILL-DHAHUGUTU KHUNTI PO+PS+DIST-KHUNTI (JH) 835210	सामान्य	प्रतिक्षा सूची 1

उपरोक्त सभी चयनित कनीय अभियन्ता नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 03 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान जिला पंचायत कार्यालय, खूँटी में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय खूँटी जिले का पता संबंधित प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक अतिरिक्त छायाप्रति (स्व अभिप्रमाणित) एवं अद्यतन दो रंगीन फोटाग्राफ समर्पित करेंगे।

संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त्ते निम्नवत् होगी :–

1. आपके द्वारा दिये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की जांच संबंधित संस्थान से कराई जाएगी। यदि उसमें किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो आपकी संविदा रद्द कर दिया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी एवं भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसुलनीय होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है। इस कालावधि के पूर्ण होने पर सम्पन्न कार्यो की समीक्षा, समिति के द्वारा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

2. यदि कोई कार्यरत कनीय अभियन्ता ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्त कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. संविदा अवधि में नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
6. आवेदक को देय एकमुस्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा–व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

9. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह संविदा आधारित नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना कारण बताये सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश मान्य होगा।

ह0 / –

उप विकास आयुक्त,
खूँटीं

ज्ञापांक 282 / पं0, दिनांक 20.4.2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित संविदा के आधार पर चयनित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना पदाधिकारी, (डी0आई0ओ0)एन0आई0सी0, खूँटी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।खूँटी जिला के वेबसाईट (WWW.khunti nic.in) पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, खूँटी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20.04.17

उप विकास आयुक्त,
खूँटीं

D:\2017\Com Op Eg\Joyning Latter JE final.doc

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

(पंचायत शाखा)

–: आदेश :–

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–80 दिनांक 28.04.2016 एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1453/राँची, दिनांक 03.05.2016 के निदेशानुसार कार्यालय आदेश ज्ञापांक 161/पं0 दिनांक 16.03.2017 द्वारा कुल 18 लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। उनमें से अर्चना तिर्की द्वारा योगदान नहीं दिया गया। कार्यालय आदेश ज्ञापांक 160 दिनांक 16.03.2017 में प्रतिक्षा सूची में रखे अभ्यर्थियों की कोटिवार रिक्ति के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य की महत्ता को मद्देनजर प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थी को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद मासिक मानदेय 10000.00 (सत्रह हजार) रूपये में पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त की जाती है :–

क्र	रोल न.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	76	मुनेश्वर महतो	सुरपती महतो	VILL-ASALMARI, P.O.-JURDAG, P.S.-KARRA, DIST-KHUNTI (JH)PIN-835210	सामान्य	प्रतिक्षा–सूची–1

उपरोक्त सभी चयनित कनीय अभियन्ता नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 03 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान जिला पंचायत कार्यालय, खूँटी में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय खूँटी जिले का पता संबंधित प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक अतिरिक्त छायाप्रति (स्व अभिप्रमाणित) एवं अद्यतन दो रंगीन फोटाग्राफ समर्पित करेंगे।

संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्ते निम्नवत् होगी :–

1. आपके द्वारा दिये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र की जांच संबंधित संस्थान से कराई जाएगी। यदि उसमें किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो आपकी संविदा रद्द कर दिया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी एवं भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसुलनीय होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है। इस कालावधि के पूर्ण होने पर सम्पन्न कार्यो की समीक्षा, समिति के द्वारा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

2. यदि कोई कार्यरत लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्त कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. संविदा अवधि में नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
6. आवेदक को देय एकमुस्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा–व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह संविदा आधारित नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना कारण बताये सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश मान्य होगा।

ह0/–

उप विकास आयुक्त,
खूँटी

ज्ञापांक 281 /पं0, दिनांक 20.4.2017 - कम्प्युटर ऑपरेटर

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित संविदा के आधार पर चयनित लेखा लिपिक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना पदाधिकारी, (डी0आई0ओ0)एन0आई0सी0, खूँटी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।खूँटी जिला के वेबसाईट (WWW.khunti nic.in) पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, खूँटी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20.04.17

उप विकास आयुक्त,
खूँटी

D:\2017\Com Op Eg\Joyning Latter JE final.doc